झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राँची
अधिसूचना

अधिसूचना--स्था0–03/2015/.................... राँची/दिनांक................/2018

झारखण्ड वित्त नियमावली एवं झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 87 में प्रदत्त शक्तियों तथा योजना स्वीकृति के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में कार्यालय प्रधान के रूप में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए विभागीय सचिव, जनसम्पर्क निदेशालय के लिए निदेशक, प्रमण्डलीय जन सम्पर्क कार्यालय के लिए उप निदेशक एवं जिला जनसम्पर्क कार्यालय के लिए जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी कार्यालय प्रधान के रूप में निहित प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृति आदेश एवं आवंटन आदेश के तहत प्राप्त आवंटन के अंतर्गत व्यय के लिए सक्षम पदाधिकारी हैं।

कार्यालय प्रधान अपने अधीनस्थ राजपत्रित सरकारी सेवक को वित्त नियमावली के नियम 110 एवं झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 87 के अंतर्गत व्यय के लिए प्राधिकृत भी कर सकते हैं, परन्तु, वे विपत्र के सही होने तथा आवंटन के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे।

योजना की स्वीकृति के संबंध में शक्ति प्रत्यायोजन के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के द्वारा निर्गत पत्र 302 दिनांक 11.03.2015 के तहत नई योजना तथा चालू प्रकृति की योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति देने की प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व में निर्गत अधिसूचना 84 दिनांक 17.03.2015 को निरस्त किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक... स्था0–03/2015/.................... दिनांक.........../07/2018

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक... स्था0–03/2015/.................... दिनांक.........../07/2018

प्रतिलिपि : सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक... स्था0–03/2015/.................... दिनांक.........../07/2018

प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची को झारखण्ड ई–गजट में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक... स्था0–03/2015/..271.... दिनांक..07../07/2018

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची/ सभी प्रमण्डली य आयुक्त/सभी उपायुक्त/निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, रांची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, जनसम्पर्क, सभी सहायक निदेशक–सह–जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी/ बजट एवं लेखा शाखा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/जनसम्पर्क निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/7/18
सरकार के उप सचिव